न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	117/25	2025/171	07/05/2025	नारायण बनाम सरकार	08.05.2026	1 लगायत 3

1. नारायण पुत्र कल्याण जाति खटीक उम्र 76 वर्ष निवासी लिवाली तहसील बामनवास जिला– सवाई माधोपुर (राज0) –अपीलार्थी

बनाम

1. नायब तहसीलदार बामनवास। –रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी पक्ष की और से :– विद्वान अधिवक्ता श्री शिवकुमार शर्मा
2. रेस्पोडेन्ट पक्ष की और से :– पेरोकार सरकार

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बामनवास मिसल संख्या 158 में पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम लिवाली के आराजी ख0नं0 157 रकबा 0.20 है0 किस्म बंजड़ पर गेहूं काश्त कर , खं0नं0 198 रकबा 0.87 है0 किस्म बंजड पर गेहूं काश्त कर , खं0नं0 199 रकबा 0.43 है0 किस्म चरागाह पर गेहूं काश्त कर कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है0 पर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 19.12.2024 के अनुसार अपीलार्थी को धारा 91 एल0आर.एक्ट0 के तहत अतिकमी मानकर शास्ती कायम कर फसल निलामी के आदेश दिये गये है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

है।अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। जिससे यह साबित हो कि अपीलार्थी को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका हो, फिर भी अदालत मातहत द्वारा मनमाने तौर पर अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। पत्रावली पर प्रस्तुत पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह कहीं भी प्रकट नहीं होता कि अपीलार्थी का पूर्व में कब्जा रहा हो। फिर भी मनमाने तौर पर अपीलार्थी को पश्चातवर्त्ती मानकर निर्णय कर कानूनी भूल की है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्तुत पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध नहीं किये गये है न ही कोई स्वतंत्र साक्षी के बयान लेखबद्ध किये गयें है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2024 को न तो पत्रावली में रिकार्ड पर लिया गया और न ही जबाब में अंकित तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किया गया। जबकि अपीलार्थी का स्पष्ट कथन है कि खसरा नम्बर 198 व खसरा नम्बर 157 पर अपीलार्थी का कोई कब्जा नहीं है तथा खसरा नम्बर 199 अपीलार्थी की कयशुदा भूमि है ,जिससे बाबत् अपीलार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर रखा है। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 07.01.2025 के अनुसार लैण्डहोल्डर तहसील बामनवास को रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है। उक्त आदेशों के बाद भी पटवारी हल्का ने स्थगन आदेश के विपरित कार्य कर विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 19.12.2024 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिकमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, अपीलार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के प्रकरण सं0 03/2025 उनवान नारायण बनाम बाबूलाल के आदेशिका तथा प्रार्थना पत्र की छायाप्रति

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 117/25 उनवान नारायण बनाम सरकार

प्रस्तुत की उक्त छायाप्रति के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बामनवास को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित करना उचित समझते हैं कि तहसीलदार बामनवास न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर में विचाराधीन मु0नं0 03/225 उनवान नारायण बनाम बाबूलाल किस्म 223 आरटीएक्ट जिसमें तहसीलदार स्वयं रेस्पोडेन्ट सं0 2 के रूप में पक्षकार है। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अतः तहसीलदार बामनवास उक्त प्रकरण में प्रभावी पैरवी करे तथा मा0 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय पारित होने पर निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करे ,पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार बामनवास को निर्णय प्रति पालनार्थ पृथक से भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति. जिला कलक्टर,
गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी